



छत्तीसगढ़ शासन

औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटना से सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया वर्ष 2020



राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, अटल
नगर रायपुर, छत्तीसगढ़

जयसिंह अग्रवाल

मंत्री

Jaisingh Agrawal

MINISTER



छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास,

पंजीयन एवं स्टाप्प विभाग

कक्ष क्रमांक ऐ-2/11

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

492002 (छत्तीसगढ़)

फोन-0771-2221109, 2510539

Government of Chhattisgarh

Revenue & Disaster Management, Rehabilitation,
Registration and Stamp Department

Room No. M-2/11

Mantralaya Mahanadi Bhawan, Atal nagar, Raipur
492002 (Chhattisgarh)

अधृद शा. पत्र क्रमांक : १२९० (नि.)

रायपुर दिनांक : ३०. १२. २०२०

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटना से सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया वर्ष 2020 का प्रकाशन किया जा रहा है।

औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटना से सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के प्रकाशन से उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं एवं खतरनाक रसायनों के वाहनों के परिवहन से होने वाली दुघटनाओं में कमी आयेगी तथा कार्य करने वाले कर्मियों के हितों की रक्षा होगी।

औद्योगिक और रासायनिक दुर्घटना से सुरक्षा एवं बचाव के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया 2020 के प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

१२/१२/२०२०
(जयसिंह अग्रवाल)

प्रति,


रीता शांडिल्य,
सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।

औद्योगिक परिचय

प्रदेश में स्थापित उद्योगों में से MSIHC ACT 1989 के अंतर्गत् अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखानों को पृथक् से विन्हाँकित किया गया है। वर्तमान में अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कुल 19 कारखाने हैं। अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखाने प्रदेश के विभिन्न 04 जिलों में स्थित हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत् बनाए गए नियमों में ऐसे प्रत्येक जिले का आँफ साइट इमरजेंसी प्लान भी बनाया जाना आवश्यक है।

अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के कारखानों की जिलेवार सूची निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिला	अत्यधिक खतरनाक कारखानों के नाम एवं पता
1	रायपुर	मोहनी इंडस्ट्रीज 9-ए इंडस्ट्रीयल, एरिया, रावांभाठा रायपुर
2		प्रकृति इंडस्ट्रीज प्लाट नं. 9-बी रावांभाठा इंडस्ट्रीयल एरिया, रायपुर
3		अम्बादूर पेट्रोकेम लिमिटेड, प्लाट नं. 17 एवं 19 रावांभाठा इंडस्ट्रीयल एरिया, रायपुर
4		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी.बाटलिंगप्लांट, रायपुर
5		प्राची रेजीन्स प्राइवेट लिमिटेड, माना रोड़, रायपुर
6		श्री गणेश ओलियोचेम, सिलतरा, रायपुर
7		श्री केमिकल्स, सिलतरा, रायपुर
8		इंडियन आईल कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी.बाटलिंग प्लांट, सिलतरा, रायपुर
9		एरो एग्रो केमिकल्स, इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भनपुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, रायपुर
10		आकृति टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, रायपुर
11		ठाकुर पेट्रो केमिकल्स, ग्राम-उरला, अभनपुर, रायपुर
12		अनिकेत एल.पी.जी. बाटलिंग, सिलतरा फेस- ॥, रायपुर
13	जांजगीर-चांपा	मध्य भारत पेपर मिल ग्राम बिरगहनी, चांपा
14	दुर्ग	ऑक्सीजन प्लान्ट ॥, बी.एस.पी. भिलाई
15		कोल केमिकल्स डिपार्टमेन्ट, बी.एस.पी. भिलाई
16		इनर्जी मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, बी.एस.पी. भिलाई
17		प्रोपेन स्टोरेज, बी.एस.पी. भिलाई
18		प्रेक्स एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बी.एस.पी. भिलाई
19	रायगढ़	जिन्दल पॉवर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़



औद्योगिक दुर्घटना

औद्योगिक दुर्घटनाओं से तात्पर्य ऐसी दुर्घटनाओं से है जो खतरनाक रसायनों के परिवहन, भण्डारण अथवा उपयोग के दौरान निम्न रूप से घटित होती है:-

1. आग
2. विस्फोटक
3. खतरनाक जहरीली गैसों का रिसाव

ऐसी दुर्घटनाएं औद्योगिक क्षेत्रों, राष्ट्रीय तथा राज्यकीय राजमार्ग जिनसे खतरनाक रसायनों का परिवहन किया जाता है, तथा रासायनिक भण्डारण क्षेत्रों में घटित हो सकती है।

- कोरबा चिमनी दुर्घटना छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा शहर में 23 सितंबर 2009 को हुई थी। यह भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO) के लिए यह निर्माणाधीन था। निर्माण 1000 मीटर से अधिक होने पर चिमनी ढह गई थी। इस दुर्घटना से कम से कम 45 मौतें दर्ज हुई थी।
- रायगढ़ (पुसोर) में संचालित शक्ति पल्स एंड पेपर मिल में मई 2020 में जहरीली गैस के रिसाव के कारण 6 लोग घायल हुए थे एवं एक व्यक्ति की मौत हुयी थी।

औद्योगिक आपदा में विशेष बात यह है कि इसे पूर्णतः रोका जा सकता है तथा उचित पूर्व तैयारी के द्वारा जान माल पर होने वाले प्रभाव को व्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है।

जहरीली गैसों का रिसाव उपयोग के दौरान, परिवहन भण्डारण के दौरान हो सकता है। ऐसी स्थिती में सही जानकारी के आधार पर हम अपनी जान बचा सकते हैं।

राज्य में उद्योगों के तीन प्रकार हैं

- लघु उद्योग - जिसमें कर्मचारियों की संख्या 1- 99 बीच होती है
- मध्यम उद्योग- जिसमें कर्मचारियों की संख्या 100-499 बीच होती है
- बहुत उद्योग- जिसमें कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक होती है

1. औद्योगिक क्षेत्र में आग, विस्फोट एवं गैस के रिसाव

1.1 दुर्घटना के स्रोत

आग एवं विस्फोट के निम्न श्रोत हैं:-

- एलपीजी/प्रोपेन का उपयोग करने वाले संयंत्रों में होने वाली दुर्घटना से।

- एलपीजी/प्रोपेन ले जा रहे वाहनों की सड़क दुर्घटना होने से।
- जिलेटीन, डाइनामाइट, ट्राइ नाइट्रो ट्राल्वीन
- पोटाशियम-परमैगेनेट, मैग्नेशियम डाई आक्साइड

गैस के रिसाव के निम्न श्रोत हैं:-

- क्लोरिन गैस का उपयोग करने वाले उद्योग/संयंत्रों में दुर्घटना की स्थिति में।
- क्लोरिन गैसे टैंकरों को ले जा रहे वाहनों में दुर्घटना की स्थिति में।
- एल.पी.जी., मिथाइलआइसोसाइनाइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड

1.2 दुर्घटना का प्रभाव क्षेत्र

दुर्घटना का प्रभाव क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है:-

2. हवा की दशा
3. हवा की गति
4. क्लोरिन टैंकर में रिसाव का आकार
- हवा की दिशा जिस तरफ होगी, इस गैस का दुष्प्रभाव भी उसी दिशा में होगा।
- हवा की गति जितना तेज होगा, यह गैस भी उतनी ही तेजी से फैलेगी तथा हवा की दिशा में स्थित बस्तियों के लोगों पर उसका दुष्प्रभाव होगा।

1.3 दुर्घटना की सूचना आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं:-

- अधिकांश जहरीली गैस के रिसाव होने से आप एक तेज गंध महसूस करेंगे तथा पूरे शरीर पर जलन महसूस होगी अथवा आँखों से पानी आने लगेगा।
- यदि यह दुर्घटना किसी औद्योगिकसंयंत्र में हुई है, तो ऐसी स्थिति में उस उद्योग के द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा आपके बस्ती के लोगों को दूरभाष से सूचना दी जायेगी।
- थाना- प्रभारी द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से आपके बचाव हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।

1.4 दुर्घटना की स्थिति में आपके बचाव के साधन -

दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त, निम्न कार्यों द्वारा आप अपना बचाव कर सकते हैं-

- आप अपने घर के सारे खिड़की, दरवाजे या वायु प्रवेश, तत्काल बंद कर दें और स्वयं तथा अपने परिवार वालों को सुरक्षित करें।
- यदि आपका घर पक्का ना हो तथा वायु प्रवेश आप बंद ना कर सकते हों, तो ऐसी स्थिति में पास के पक्के घर में जा कर अपनी सुरक्षा करें।
- आप घरों के अन्दर, तब तक रहें, जब तक लाउडस्पीकर से आपको बाहर आने का निर्देश न दिया जाए।
- अपने नाक मुँह पर सूखे कपड़े रखें, गीला कपड़ा कदापि ना रखें।
- वहाँ से विपरीत दिशा में तेज दौड़ लगाएँ, तथा सुरक्षित दूरी तक पहुँचने की कोशिश करें।
- सुरक्षत दूरी की पूर्व जानकारी प्राप्त करने हेतु पुलिस स्टेशन से सम्पर्क करें, आग के धुएं से दूर रहने की कोशिश करें।
- जहरीली गैसों का रिसाव उपयोग के दौरान, परिवहन भण्डारण के दौरान हो सकता है। ऐसी स्थिती में सही जानकारी के आधार पर हम अपनी जान बचा सकते हैं।

खतरनाक रसायनों के वाहनों से होने वाले खतरों से बचाव

2.1 दुर्घटना के स्रोत

खतरनाक रसायनों को रोड टैकर अथवा ट्रक के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है।

- ❖ ऐसे वाहनों में खतरनाक रसायन द्रव्य, ठोस, गैस अवस्था में ले जाये जाते हैं।
- ❖ इन तीनों ही अवस्था में दुर्घटना होने की संभावना होती है।

ऐसे वाहनों में निम्नप्रकार के खतरनाक रसायनों का परिवहन होता है:-

- ❖ ज्वलनशील पदार्थ
- ❖ विस्फोटक पदार्थ
- ❖ जहारीले पदार्थ
- ❖ ऐसे पदार्थ जो पानी के सम्पर्क में आने से खतरनाक हो सकते हैं।

2.2 दुर्घटनाओं का स्वरूप

ऐसे वाहनों में होने वाली दुर्घटनाओं का स्वरूप निम्नानुसार हो सकता है:-

- ❖ टैकर से ज्वलनशील पदार्थों (एलपीजी) का रिसाव तथा वायुमंडल में घनीभूत होने के उपरांत कुछ क्षण पश्चात आग के गोले के रूप में विस्फोट।
- ❖ टैकर से ज्वलनशील पदार्थों का रिसाव तथा आग के बादल के रूप में तुरंत विस्फोट।
- ❖ टैकर से जहारीले पदार्थों का रिसाव जिसके फलस्वरूप आसपास के लोगों के ऊपर उसका दुष्प्रभाव।
- ❖ टैकर से जहारीले पदार्थों का रिसाव जिसके फलस्वरूप आसपास के खेत या अन्य संवेदनशील स्थानों पर उसका दुष्प्रभाव।
- ❖ खतरनाक रसायनों के रिसाव से तात्कालिक तथा दूरगामी मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव।
- ❖ उपरोक्त आग के दुर्घटनाओं के फलस्वरूप आग का द्वितीयक प्रभाव जिसके फलस्वरूप प्रभाव क्षेत्र में आने वाले मकानों, दुकानों या उद्योगों में आग का फेलना तथा उससे दुर्घटना अथवा मृत्यु।

2.3 दुर्घटना का प्रभाव क्षेत्र-

दुर्घटना का प्रभाव क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है :-


- ❖ ज्वलनशील/विस्फोटक/जहरीले रसायनों की मात्रा
- ❖ टैंकर में रिसाव स्थल
- ❖ दुर्घटनास्थल से दूरी

2.4 दुर्घटना से बचाव

खतरनाक रसायनों के वाहनों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने तथा दुर्घटना के उपरांत उसके प्रभावों को कम करने हेतु निम्नलिखित बातें जरूरी हैं :-

- वाहनों पर खतरनाक रसायनों के बारे में उचित जानकारी इमरजेंसी पैनल में उपलब्ध होना।
- खतरनाक रसायनों के परिवहन के दौरान वाहनों में खतरनाक रसायनों से संबंधित ट्रिमकार्ड एवं रसायनों की जानकारी से संबंधित बुकलेट का रहना।
- खतरनाक रसायनों के वाहनों के वाहकों को जलरी प्रशिक्षण हासिल होना।
- दुर्घटना के उपरांत राहत एवं बचाव से संबद्ध अमले को खतरनाक रसायनों के बारे में जानकारी उपलब्ध होना।
- परिवहन क्षेत्र में रहने वाले जनसामान्य को वाहनों में जा रहे खतरनाक रासायनों में दुर्घटना की स्थिति में स्वयं के बचाव हेतु सामान्य जानकारी।

ऐसे वाहनों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु आपातकालीन सूचना पेनल का प्रावधान किया गया है।



आपातकालीन सूचना पेनल (इमरजेन्सी इन्फारमेशन पेनल)

इस पेनल में निम्नलिखित छ: सूचनाएँ होती हैं:-

- वाहन में ले जाये जा रहे खतरनाक रसायन का सही रासायनिक नाम।
- खतरनाक रसायन का यू.एन. नम्बर : यह नम्बर प्रत्येक रसायन के लिए दिया जाता है। यह नम्बर विश्व में कही भी एक ही होता है तथा केवल इस नम्बर के उपलब्ध होने से ही उक्त रसायन के बारे में जानकारी ली जा सकती है।
- हेजकेम कोड: यह कोड काफी महत्वपूर्ण है। इस कोड के माध्यम से निम्न जानकारी ली जा सकती है।
 - ❖ आग की दशा में प्रयुक्त किये जाने वाले अग्निशमन यंत्रों का प्रकार।
 - ❖ बचाव कार्य हेतु जा रहे अमले के स्वयं के बचाव हेतु उपयोग किये जाने वाले बचाव यंत्रों का उपयोग।
 - ❖ उपरोक्त के अतिरिक्त इस कोड से यह भी पता चलता है कि रिसाव के उपरांत आसपास की बस्ती के लोगों को वहाँ से हटाना है अथवा नहीं।

- ❖ इस कोड के माध्यम से यह भी पता चलता है कि उक्त पदार्थ विस्फोटक हो सकता है अथवा नहीं।
4. आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव करने वाली एजेन्सियों का सम्पर्क सूचना।
 5. आपातकालीन स्थिति में खतरनाक रसायनों के बारे में विशेषज्ञ राय का सूचना।
 6. रसायनों का वर्गीकरण: रसायनों को 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक वर्ग हेतु एक रग के डायमंड आकार दिया गया है।

इस डायमंड के अन्दर प्रत्येक रसायन वर्ग की विशेषता को दर्शाते हुए एक आकार भी दिया गया है।

वर्ग-एक

1.1 विस्फोटक पदार्थ :-



चिन्ह : फटता हुआ बम (काले रंग में)

पृष्ठभूमि का रंग : नारंगी

उदाहरण: जिलेटीन, डाइनामाइट, ट्राइ नाइट्रो ट्राल्वीन

वर्ग-दो

2.1. ज्वलनशील गैसें:-



चिन्ह:-आग की ज्वाला (सफेद या काले रंग में)

पृष्ठभूमि का रंग : लाल

उदाहरण : एल.पी.जी.

2.2 दबाव में स्थान हुआ अज्वलनशील गैस



चिन्ह:- गैस सिलिंडर (काले या सफेद रंग में)

पृष्ठभूमि का रंग : हरा

उदाहरण : दबाव के अन्तर्गत नाइट्रोजन

2.3 जहरीली गैसें :



चिन्ह:- मानव खोपड़ी तथा हड्डियों का क्रास (काले रंग में)

पृष्ठभूमि का रंग : सफेद

उदाहरण : कार्बन मोनोऑक्साइड

3.0 ज्वलनशील द्रव्य :



चिन्ह:- अग्नि की ज्वाला (सफेद या काले रंग में)

पृष्ठभूमि का रंग : लाल

उदाहरण : पेट्रोल

4.0 वर्ग-चार

4.1 ज्वलनशील ठोस पदार्थ



चिन्ह:- अग्नि की ज्वाला (काले रंग में)
पृष्ठभूमि का रंग : लाल और सफेद की समानान्तर पट्टी
उदाहरण :नाइट्रो सेल्यूलोज

4.2 अति ज्वलनशील पदार्थ :



चिन्ह:- अग्नि की ज्वाला (काले रंग में)
पृष्ठभूमि का रंग : ऊपर का आधा भाग सफेद तथा नीचे का आधा भाग लाल
उदाहरण :सफेद फॉस्फोरस

4.3 वैसे पदार्थ जो भीगने के उपरांत ज्वलनशील हो जाते हैं :



चिन्ह:- अग्नि की ज्वाला (काले या सफेद रंग में)
पृष्ठभूमि का रंग : बीला
उदाहरण : कैलिसयम कार्बाइड

5.0 वर्ग-पांच

5.1 आक्सीकारक पदार्थ



चिन्ह एक वृत्त को धेरता हुआ अग्नि की ज्वाला, काले रंग में पृष्ठभूमि का रंग : पीला

उदाहरण : पोटाशियम-परमैग्नेट, मैग्नेशियम डाई आक्साइड

6.0 वर्ग - छः

6.1 जहरीले पदार्थ :



चिन्ह : मानव खोपड़ी तथा हड्डियों का क्रास काले रंग में पृष्ठभूमि का रंग : सफेद

6.2 जहरीले पदार्थ जिन्हें खाद्य पदार्थों से दूर रखना है



चिन्ह : गेहूँ की बाली पर क्रास का चिन्ह

पृष्ठभूमि का रंग : सफेद

6.3 संक्रामक पदार्थ :




चिन्ह एक वृत्त के उपर तीन चन्द्र बिन्दु काले रंग में

पृष्ठभूमि का रंग सफेद

उदाहरण : एन्ड्रैक्स स्पोर्ट, वैसे रसायन जिनका उपयोग जैविक हथियारों के निर्माण में होता है ?

7.0 वर्ग - सात

7.1 रेडियोएक्टिव पदार्थ:



चिन्ह : ट्रीफॉयल काले रंग मे

पृष्ठभूमि का रंग : ऊपर पीला तथा नीचे का भाग सफेद

5.7 हेजकेम कोड:

हेजकेम कोड दो या तीन शब्दों को एक कोड है। जिसमें पहला कोड 1,2,3,4 अंको में से कोई एक अंक हो सकता है। यह अंक आग की दशा में प्रयोग किये जाने वाले अग्निशमन यंत्र के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है।

- ❖ **नम्बर 1 का अर्थ :-** यदि हेजकेम कोड का पहला कोड 1 हो तो इसका अर्थ यह है कि आग की दशा में जेट अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना है।
- ❖ **नम्बर 2 का अर्थ :-** यदि हेजकेम कोड का पहला कोड 2 हो तो इसका अर्थ यह है कि आग की दशा में फॉग अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना है।

- ❖ **नम्बर 3 का अर्थ :-** यदि हेजकेम कोड का पहला कोड 3 हो तो इसका अर्थ यह है कि आग की दशा में फोम अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना है।
- ❖ **नम्बर 4 का अर्थ :-** यदि हेजकेम कोड का पहला कोड 4 हो तो इसका अर्थ यह है कि आग की दशा में डाईएजेन्ट अग्निशमन यंत्र का उपयोग करना है।

1. इमरजेंसी सूचना पैनल में रसायन का नाम, यूएन. नम्बर, हैजकेम कोड, रसायनों के वर्गीकरण के आधार पर उचित क्लास लेवल लिखा होना सुनिश्चित कर लें।
2. टेकर के केविन के अव्वर एक निश्चित स्थान पर टीम कार्ड एवं रसायनों के सम्बन्ध में जानकारी की बुकलेट रसायन के निर्माता से प्राप्त कर निश्चित रूप से रख लें। इस बुकलेट में परिवहन की जा रही रसायन के खतरे, तथा दुर्घटना की स्थिति में उनसे बचाव प्राथमिक उपचार की जानकारी होनी चाहिए।
3. वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण, उचित अग्निशमन यंत्र आदि आवश्यक रूप से रख ले।
4. यात्रा से पहले वाहन चालक को रसायन के भौतिक तथा रासायनिक गण से आवश्यक रूप से परिचय करा दें तथा दुर्घटना के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रशिक्षित कर दें।
5. इमरजेंसी सूचना पैनल में लिखित रसायनों के अतिरिक्त किसी दूसरे रसायन को न रखें। यदि एक से अधिक रसायनों का परिवहन करना हो, तो ऐसी स्थिति में इन रसायनों की सूचना भी आपातकालीन सूचना पैनल में अवश्य दें।

राज्य एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नगर सेना एवं अग्नि शमन विभाग

औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

उद्योगों एवं कारखानों के सम्बन्ध में

- खतरनाक रसायनों का उचित संधारण।
- औद्योगिक आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण एवं मूल्यांकन।
- उद्योगों और कारखानों का सेफटी ओडिट।
- औद्योगिक सुरक्षा मनको का पालन।
- अग्नि सुरक्षा से संबंधित मोक इल का आयोजन।
- अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण लगे हैं या नहीं सुनिश्चित करना।
- औद्योगिक स्थल पर काम करने वाले लोगों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किया गया है के नहीं सुनिश्चित करना।
- औद्योगिक अधिनियम 1948 एवं अन्य औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम के अनुसार उद्योगों में आवश्यक सुरक्षा मनको का पालन किया जाना चाहिये।
- ऐसे रसायनिक उद्योगों का जिले स्तर पर अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर वर्ष में दो बार निरिक्षण करेगे, शासन को प्रतिवेदन देंगे।



पेट्रोल पंप, गैस गोदाम के सम्बन्ध में

- अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण लगे हैं या नहीं सुनिश्चित करना।
- पेट्रोलियम पदार्थ उच्च ज्वलनशील होते हैं अतः यदि इनकी उचित तरीके से देखरेख न की जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संस्था (पेसो) नियमावली के अंतर्गत इनकी देखरेख नियंत्रित की जाती है। एक पेट्रोल पंप लायसेंस धारी परिसर होता है, और यहां सारी गतिविधियां पेसो नियमावली का कड़ाई से पालन करते हुए की जाती हैं।
- आबादी क्षेत्र जहाँ अत्यधिक संख्या में लोग निवास करते हैं उन स्थानों से दूर पेट्रोल पंप, गैस गोदाम की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं सुनिश्चित करना।

छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- जिले की व्यस्ततम सड़को पर आपातकालीन संपर्कों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- खतरनाक रसायनों के वाहनों की सूचि का संधारण एवं उनमें किस प्रकार के रसायनों को लाया और ले जाया जाता है के संबंध में जानकारी।
- जिले के आपदा प्रबंधन, अग्नि शमन एवं नगरीय निकाय के लोगों के साथ समय समय पर पेट्रोल पंप, गैस गोदाम आदि के संबंध में जाच पड़ताल करना एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर उचित कार्यवाही करना।

परिवहन के द्वारा खतरनाक रसायनों के सम्बन्ध में

- इमरजेंसी सूचना पैनल में रसायन का नाम, यू.एन. नम्बर, हैजकेम कोड, रसायनों के वर्गीकरण के आधार पर उचित क्लास लेवल लिखा होना सुनिश्चित कर लें।
- टैकर के केविन के अन्दर एक निश्चित स्थान पर टीम कार्ड एवं रसायनों के सम्बन्ध में जानकारी की बुकलेट रसायन के निर्माता से प्राप्त कर निश्चित रूप से रख लें। इस बुकलेट में परिवहन की जा रही रसायन के खतरे, तथा दुर्घटना की स्थिति में उनसे बचाव प्राथमिक उपचार की जानकारी होनी चाहिए।
- वाहन में आवश्यक सुरक्षा उपकरण, उचित अग्निशमन यंत्र आदि आवश्यक रूप से रख ले।
- यात्रा से पहले वाहन चालक को रसायन के भौतिक तथा रासायनिक गुण से आवश्यक रूप से परिचित करा दें तथा दुर्घटना के दौरान किए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रशिक्षित कर दें।
- इमरजेंसी सूचना पैनल में लिखित रसायनों के अतिरिक्त किसी दूसरे रसायन को न रखें। यदि एक से अधिक रसायनों का परिवहन करना हो, तो ऐसी स्थिति में इन रसायनों की सूचना भी आपातकालीन सूचना पैनल में अवश्य दें।

